न्यायालय तहसीलदार कोटपूतली जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी
अनूप सिंह (आरटीएस)
दिनांक5.03.2020

मि.न.102/2020

सरकार बनाम संपत्तराम

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । गैर सायल अनुपस्थित ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मलपुरा ने एक रिर्पोट इस आशय की पेश की है कि सम्वत 2076 में वाके ग्राम केशवानाराजपूत तहसील कोटपूतली के ख0 न0 435/936/0.25है0 किस्म बारानी में से 0.25 है0 भूमि पर सम्पतराम जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली ने फसल जौ की कास्त कर नाजायज रूप से अतिक्रमण कर लिया है ।

रिर्पोट पटवारी दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को विधिवत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस दिये गया । बाद तामिल नोटिस संलग्न किये गये । सुचनाप्रान्त गैर सायल उपस्थित नहीं आये। नाही कोई जबाब, दस्तावेज पेश किये गये। अतः आतिक्रमि के विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही किया जाना उचित प्रतित होता है । अगर अतिक्रमियों के विरूद्व कार्यवाही नहीं की गई तो अतिक्रमण को बढावा मिलेगा व क्षेत्र में असंतोष की स्थिति उत्पन्न होगी।

अतः गैरसायल संपत्तराम पुत्र ईशर जाति गुर्जर निवासी मलपुरा तहसील कोटपूतली जिला जयपुर को वाके ग्राम केशवानाराजपूत तहसील कोटपूतली के खसरा नंबर 435/936/0.25है0किस्म बंजड भूमि पर अतिक्रमी धोषित किया जाता है तथा गैर सायल द्वारा बोई गई जौ की फसल को निलाम कर भौतिक रूप से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। नाजायज़ रूप से अतिक्रमण करने के आरोप मे लगान राशी 1.00रू. का पचास गुणा 50 रू अर्थ दण्ड के रूप में जुर्माना किया जाता है भू– अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को वास्ते फसल निलामी ,बेदखली आदेश जारी हों तथा मांग कायमी टी.आर. ए. को करवाई जावे। निर्णयानुसार कार्यवाही पूर्ण हो कर पत्रावली बाद तकमिल दाखिल दफतर होकर नम्बर से कम हो ।

निर्णय आज दिनाक 5.3.2020 को सरे इजलास सुनाया गया ।

तहसीलदार
कोटपूतली (जय.)

Scanned by CamScanner